<u>प्रपत्र – I</u> Form I

अचल सम्पत्ति के लेन-देन से संबंधित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(2) के अन्तर्गत पूर्व

सूचना देने अथवा पूर्वानुमित लेने के लिए प्रपत्र
Form for giving prior intimation or seeking previous sanction under Rule 18(2) of the CCS

(Conduct) Rules, 1964 for transaction in respect of Immovable property

1. नाम और पदनाम :

Name and designation

2. वेतनमान और वर्तमान वेतन

Scale of pay and present pay

3. आवेदन का उद्देश्य- लेन-देन की मंजूरी / लेन-देन की सूचना Purpose of application – Sanction for transaction / intimation of transaction

- 4. क्या सम्पत्ति अर्जित की जा रही है अथवा बेची जा रही है Whether property is being acquired or disposed off
- 5. सम्पत्ति अधिग्रहण अथवा बेचने की अनुमानित दिनांक Probable date of acquisition or disposal of property
- 6. अधिग्रहण करने की / बेचने की पद्धति Mode of acquisition/disposal
- 7. क) स्थान की सम्पूर्ण जानकारी, जैसे नगरपालिका सं रास्ता / तालुका / जिला तथा राज्य, जहाँ पर वह स्थित है गाँव /
 - (a) Full details about location, viz., Municipal No. Street/ Village / Taluk/ District and State in which situated
 - (ख) सम्पत्ति का विवरण, खेती योग्य जमीन के मामले में, बंजर अथवा सिंचाई वाली जमीन
 - (b) Description of the property, in the case of cultivable land, barren or irrigated land
 - (ग) क्या पूर्ण स्वामित्त्व के साथ अथवा लीज़ पर ली गई है :
 - (c) whether free fold or leasehold
 - (घ) क्या संपत्ति में आवेदक की रूचि पूर्णतः अथवा आंशिक है (आंशिक रूचि के मामले में इस तरह के ब्याज की सीमा का संकेत दिया जाना चाहिए।)
 - (d) Whether the applicant's interest in the property is in full or part (in case of partial interest the extent of such interest must be indicated.
 - ड.) यदि लेन-देन विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी के नाम पर नहीं है, तो स्वामित्व का विवरण और प्रत्येक सदस्य का हिस्सा

- (e) In case the transaction is not exclusively in the name of the govt. servant, particulars of ownership and share of each members
- 8. संपत्ति की बिक्री / खरीद मूल्य (उपहार के मामले में बाजार मूल्य) : Sale/ purchase price of the property (Market value in the case of gifts)
- 9. अधिग्रहण के मामले में, स्नोत या स्नोत जिनसे वित्तपोषित किए गए / वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है
 In case of acquisition, source or sources from which financed/ proposed to be financed
- 10. संपत्ति के निपटान के मामले में, क्या इसके अधिग्रहण के लिए अपेक्षित स्वीकृति/सूचना प्राप्त की गई थी/ दी गई थी? (स्वीकृति / पावती की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)
 In the case of disposal of property, was requisite sanction/ intimation obtained/ given for its acquisition? (A copy of the sanction / acknowledgement should be attached)
- 11. (क) पार्टी का नाम तथा पता, जिनके साथ लेन-देन किया जाना प्रस्तावित है। Name and address of the party with whom transaction is proposed to be made
 - (ख) क्या पार्टी का आवेदक से कोई रिश्ता है? यदि हाँ, तो रिश्ता बताइए। Is the party related to the applicant? If so, state the relationship.
 - (ग) क्या कभी आवेदक ने अपनी कार्यालयीन क्षमता में किसी पार्टी के साथ कोई लेन-देन किया है या निकट भविष्य में आवेदक कोई लेन-देन करने वाला है?

 Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future?
 - (घ) लेन-देन का प्रबन्ध कैसे किया गया था? (क्या किसी कानूनी समूह द्वारा अथवा निजी एजेन्सी द्वारा अथवा दोस्तों एवं रिश्तेदारों के द्वारा। सम्पूर्ण विवरण देना है।)
 How was the transaction arranged? (Whether rough any statutory body or a private agency through advertisements or through friends and relatives, full particulars to be given)
- 12. भेंट प्राप्ति के मामले में क्या सीसीएस (आचरण) नियम1964 के नियम 13 के अनतर्गत, अनुमति पाना आवश्यक है

In the case of acquisition by gifts, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1964.

13. अन्य कोई सम्बद्ध तथ्य, जिनका आवेदक उल्लेख करना चाहता है। Any other relevant fact which the applicant may like to mention

घोषणा DECLARATION

मैं,	एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा
दिए गए उपरोक्त विवरण सही है। मैं अनुरोध कर दर्शायी गई सम्पत्ति को प्राप्त करने/ बेचने की अनु	ता हूँ कि वस्तु संख्या 11 में उल्लेख की गई पार्टी को, उपरोक्त प्रपत्र में
particulars given above are true. I requ	hereby declare that the lest that I may be given permission to acquire/ dispose of the party whose name is mentioned in Item 11 above.
	. एतद् द्वारा, ऊपर दिए गए विवरण के रूप में मेरे द्वारा सम्पत्ति के घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं।
	hereby intimate the proposed sal of property by me as detailed above. I declare that the
Station:	Signature:
Dated :	Designation:
C 0	

टिप्पणी:

- 1. उपरोक्त फ़ॉर्म में, आवश्यकतानुसार विभिन्न भागों का उपयोग किया जा सकता है। In the above form, different portions maybe used according to requirement.
- 2. जहाँ पूर्व मंजूरी माँगी जाती है, <u>लेन-देन की प्रस्तावित दिनांक से कम से कम 30 दिन पहले</u> आवेदन जमा किया जाना चाहिए।

Where previous sanctioned is asked for, the application should be submitted <u>at least 30</u> days before the proposed date of transaction.

1. उपरोक्त फ़ॉर्म भरते समय निर्देश / Instructions to follow while filling up the above form:

चिह्न /Symbols	क्र. सं /फ़ील्ड सं	निर्देश /Instructions
	Sl. No./ Field No.	
(a)	3.	आवेदन का उद्देश्य: लेनदेन के लिए मंजूरी या लेनदेन की पूर्व सूचना।
	3.	Purpose of acquisition: sanction for transaction or prior intimation of transaction.
β	6.(क) और 6.(ख)	अधिग्रहण / निपटान का तरीका : चाहे खरीद / बिक्री / उपहार / बंधक / पट्टा या अन्यथा का उल्लेख
		किया जाना चाहिए।
	6. (a) and (b)	Mode of acquisition/disposal: whether Purchase/ sale/ Gift/ Mortgage/Lease or
		otherwise should be mentioned.
\$	7.(ক)	स्थान के बारे में पूर्ण विवरण अर्थात नगर निगम नं. , गली / गाँव, तालुक, जिला और राज्य जिसमें
		संपत्ति स्थित है।
	7 (a)	Full details about location viz. Municipal No., Street/Village, Taluk, District and
		State in which the property situated.
Ψ	7.(ख)	संपत्ति का प्रकार: आवास और अन्य भवन या भूमि।
	7 (b)	Type of Property: Housing and other buildings or Lands.
&	7.(घ)	संपत्ति में आवेदक का हित आंशिक हित के मामले में पूर्ण या आंशिक है या नहीं। इस तरह के ब्याज की
		सीमा का संकेत दिया जाना चाहिए।
	7 (d)	Whether applicant's interest in the property is in full or part, in case of partial interest
		extent of such interest must be indicated.
*	7.(इ.)	संपत्ति का स्वामित्व, यदि लेनदेन केवल सरकारी कर्मचारी के नाम पर नहीं है, तो स्वामित्व का विवरण औ
		प्रत्येक सदस्य का हिस्सा दिया जाए।
	7 (e)	Ownership of the property, in case transaction is not exclusively in the name of the
		Government servant, particulars of ownership and share of each member may be
		given.
#	7.(च)	संपत्ति की बिक्री / खरीद मूल्य (उपहार के मामले में बाजार मूल्य) अधिग्रहण के मामले में।
	7 (f)	Sale/purchase price of the property (Market value in the case of gifts)
Ω	8.	स्रोत या स्रोत जिनसे वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है :- (क) व्यक्तिगत बचत या (ख) विवरण देने वाले
		अन्य स्रोत।
	8.	In case of acquisition, Source of sources from which proposed to financed:- (a)
		Personal Savings or (b) other sources giving details.
€	10.(ग)	क्या आवेदक का अपनी आधिकारिक है सियत से पार्टी के साथ किसी भी समय कोई लेन-देन हुआ है, या
		निकट भविष्य में आवेदक का उसके साथ कोई लेन-देन होने की संभावना है? उत्तर हाँ या नहीं में लिखें।
		यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए।
	10 (c)	Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time,
		or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future? Write the
		answer in YES or NO. If yes, full details should be given.
R	10.(घ)	लेन-देन की व्यवस्था कैसे की गई? (चाहे किसी वैधानिक निकाय या निजी एजेंसी के माध्यम से
	40	विज्ञापन के माध्यम से या दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से)। पूरा ब्योरा देना होगा।
	10 (d)	How was the transaction arranged? (Whether through any statutory body or a private
		agency through advertisement or through friends and relatives). Full particulars to be
		given.
α	11.	उत्तर हाँ या नहीं में लिखें।
	11.	Write the answer in YES or NO

- 1. उपरोक्त फ़ॉर्म में, विभिन्न भागों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। In the above form, different portions maybe used according to requirement.
- 2. जहाँ पिछली मंजूरी माँगी गई है, आवेदन लेन-देन की प्रस्तावित दिनांक से कम से कम 30 दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। Where previous sanctioned is asked for, the application should be submitted at least 30 days before the proposed date of transaction.